न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 89/2021 निर्णय दिनांक 17/06/2022

गंगादेवी बनाम महावीर वगैरा [विस्तृत विवरण पुश्त पर अंकित है]

उपस्थित –वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण उपस्थित

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नाकिंत कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा	आ.नं.	रकबा
1	ग्रा.प. मरेडी	2074-77	150	1950	0.22	1953	0.07				
				1951	0.14						
				1952	0.49						

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ो की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है । अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी /प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें ।

(3) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी /अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्द एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है । प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है ।

(4) पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एंव पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है । अतः

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है । प्रार्थी /प्रार्थीगण की सहमति पर भू.अ.निरीक्षक ग्राम मरेडी को 800/— रू.-/ की फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीगण से मौके पर कमीश्नर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट मे किया जावें । पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्द पड़ौसी एंव खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एंव तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें । प्रार्थी /प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की / स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावें ।निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें । निर्णय आज दिनांक 17/06/2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021 फोलोअप केम्प ग्रा.पं. मरेडी में [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.06.24 12:56:20 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

क्रमांक / रीडर / 2022/ 11 दिनांक 17/6/2022

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्र.सं.	पक्षकार का नाम	प्रार्थी / अप्रार्थी
1	गंगा देवी पत्नि मदनलाल सुनार नि. ग्रा. की सरेरी त. आसीन्द	प्रार्थी
2	महावीर पिता शिवदयाल जाति वैष्णव नि. ग्रा. की सरेरी त. आसीन्द	अप्रार्थी
3	रामेश्वर पिता बद्रीलाल ब्राह्मण नि. ग्रा. की सरेरी त. आसीन्द	— do —
4	रामलाल पिता बालु भील नि. ग्रा. की सरेरी त. आसीन्द	— do —
5	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द	— do —
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.06.24 12:56:20 IST
Reason: SelfAttested